



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा.सं.: NCST/ATY-1790/DL/1/2024-APCR-RU-IV

दिनांक : 03.03.2026

सेवा मे,

श्री सतीश गोलछा

पुलिस आयुक्त,

पुलिस आयुक्त का कार्यालय,

दिल्ली पुलिस मुख्यालय,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001

Email Id: cpdelhi@delhipolice.gov.in

विषय: दिल्ली स्थित जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, जातिसूचक अभद्रता एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही ना किया जाने हेतु श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री लाला राम मीना, उत्तम नगर, दिल्ली का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का पत्र दिनांक 01.01.2026


महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **11.03.2026** को **16:10 Hrs** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।


भवदीय
(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्रीमति लीला देवी,

बी-10 रोड सं.10 यादव एन्क्लेव,

विकास नगर, उत्तम नगर

पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली -110059

मो.नं.9868491472

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading